कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क्र. ..../ बा.वि./न.नि./ 2015 रायपुर, दिनांक ....../03/2015

// निविदा आमंत्रण सूचना //

आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत (1) कालीबाड़ी चौक व्यवसायिक परिसर प्रथम तल की–**01** दुकान (2) कंकालीपारा अस्पताल व्यवसायिक परिसर प्रथम तल (मेजेनाईन फ्लोर सहित) की–**03** दुकान (3) अग्रसेन चौक मंगलम् के बाजु व्यवसायिक परिसर में भू–तल, अग्र भाग प्रथम तल (मेजेनाईन फ्लोर सहित),पृष्ठ भाग प्रथम तल व पृष्ठ भाग द्वितीय तल की कुल–**18** दुकानें (4) गांधी मैदान कांजी हाऊस **67** दुकानें अर्थात् **कुल–89** दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित दर (आफसेट दर) से अधिक राशि के प्रस्ताव की निविदाएं बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की जाती है। दुकानों का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है :–

कालीबाड़ी चौक निगम काम्पलेक्स में प्रथम तल की दुकानों हेतु (12 वी निविदा)

क्र.	विवरण	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गफूट में)	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रथम तल–6	391.26 व.फू.	01	1027057	102706

कंकालीपारा अस्पताल व्यावसायिक परिसर में प्रथम तल (मेजेनाईन फ्लोर सहित) की दुकानों हेतु (11 वी निविदा)

क्र.	विवरण	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गफूट में)	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	महिला एवं विधवा परित्यक्ता	भू–तल–11	262.00 व.फू.	01	1850720	185072
2	अनुसूचित जाति	प्रथम तल–11	338.93 व.फू.	01	1893567	189357
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रथम तल–14	337.93 व.फू.	01	1891567	189157

अग्रसेन चौक मंगलम् के बाजु व्यावसायिक परिसर की भू–तल की दुकानों हेतु (17 वी निविदा)

क्र.	विवरण	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गफूट में)	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	अन्य पिछड़ा वर्ग	भू–तल 01	258.24 व.फू.	01	1614000	161400
2	सामान्य वर्ग	भू–तल 08	258.24 व.फू.	01	1614000	161400
3	सामान्य वर्ग	भू–तल 10	258.24 व.फू.	01	1614000	161400

अग्रसेन चौक मंगलम् के बाजु व्यावसायिक परिसर अग्र भाग प्रथम तल (मेजेनाईन फ्लोर सहित) की दुकानों हेतु (11 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान कमांक	क्षेत्रफल (वर्गफूट में)	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	महिला	अग्र भाग प्रथम तल मेजेनाईन– 2	538 व.फू.	01	2313400	231340
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	अग्र भाग प्रथम तल मेजेनाईन–3	538 व.फू.	01	2313400	231340
3	अनुसूचित जाति	अग्र भाग प्रथम तल मेजेनाईन–5, 15	538 व.फू.	02	2313400	231340
4	अनुसूचित जनजाति	अग्र भाग प्रथम तल मेजेनाईन–7	538 व.फू.	01	2313400	231340
5	विकलांग	अग्र भाग प्रथम तल मेजेनाईन–8	538 व.फू.	01	2313400	231340
6	शिक्षित बेरोजगार	अग्र भाग प्रथम तल मेजेनाईन–13	538 व.फू.	01	2313400	231340

अग्रसेन चौक मंगलम् के बाजु व्यावसायिक परिसर पृष्ठ भाग प्रथम तल की दुकानों हेतु (11 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान कमांक	क्षेत्रफल (वर्गफूट में)	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	अनुसूचित जनजाति	पृष्ठ भाग प्रथम तल–5	177.54 व.फू.	01	887700	88770
2	स्वतंत्रता संग्राम सै.	पृष्ठ भाग प्रथम तल–16	177.54 व.फू.	01	887700	88770
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	पृष्ठ भाग प्रथम तल–18	129.12 व.फू.	01	645600	64560
4	अनुसूचित जाति	पृष्ठ भाग प्रथम तल–20, 28	129.12 व.फू.	02	645600	64560

अग्रसेन चौक मंगलम् के बाजु व्यावसायिक परिसर पृष्ठ भाग द्वितीय तल की दुकानों हेतु (11 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान कमांक	क्षेत्रफल (वर्गफूट में)	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	अनुसूचित जाति	पृष्ठ भाग द्वितीय तल– 15	177.54 व.फू.	01	665775	66578
2	अनुसूचित जनजाति	पृष्ठ भाग द्वितीय तल–9	177.54 व.फू.	01	665775	66578
3	अनुसूचित जाति	पृष्ठ भाग द्वितीय तल–23	129.12 व.फू.	01	484200	48420

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर लोवर तल की दुकानों हेतु (09 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	अनुसूचित जाति	07	150.96 व.फू.	01	1887035	188704
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	138.05 व.फू.	01	1725635	172564

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर भू–तल की दुकानों हेतु

(09 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	196.80 व.फू.	01	2091004	209100
2	विकलांग	10	197.23 व.फू.	01	2095578	209558
3	महिला	11	261.57 व.फू.	01	2779241	277924
4	शिक्षित बेरोजगार	12	243.49 व.फू.	01	2587175	258718
5	भूतपूर्व सैनिक	13	230.15 व.फू.	01	2445411	244541
6	अनुसूचित जाति	14	215.84 व.फू.	01	2293360	229336

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर मैजेनाईन की दुकानों हेतु

(09 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	सामान्य वर्ग	03	187.86 व.फू.	01	1878696	187870
2	सामान्य वर्ग	04	189.16 व.फू.	01	1891608	189161
3	सामान्य वर्ग	05	177.97 व.फू.	01	1779704	177970
4	विधवा एवं परित्यक्ता	06	201.42 व.फू.	01	2014273	201427
5	महिला	07	184.53 व.फू.	01	1845340	184534
6	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	167.74 व.फू.	01	1677484	167748
7	अनुसूचित जाति	09	150.96 व.फू.	01	1509628	150963
8	अनुसूचित जाति	10	138.05 व.फू.	01	1380508	138051

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर प्रथम तल की दुकानों हेतु

(10 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	सामान्य वर्ग	01	170.43 व.फू.	01	1917433	191743
2	सामान्य वर्ग	02	162.79 व.फू.	01	1831486	183149
3	सामान्य वर्ग	03	196.80 व.फू.	01	2214005	221401
4	महिला	04	197.23 व.फू.	01	2218846	221885
5	शिक्षित बेरोजगार	05	261.57 व.फू.	01	2942725	294273
6	विकलांग	06	243.49 व.फू.	01	2739361	273936
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	230.15 व.फू.	01	2589260	258926
8	अनुसूचित जनजाति	08	215.84 व.फू.	01	2428263	242826

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर द्वितीय तल की दुकानों हेतु

(09 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	सामान्य वर्ग	01	199.27 व.फू.	01	1619986	161999
2	सामान्य वर्ग	02	190.12 व.फू.	01	1544800	154480
3	सामान्य वर्ग	03	187.86 व.फू.	01	1526440	152644
4	महिला	04	189.16 व.फू.	01	1536931	153693
5	विधवा एवं परित्यक्ता	05	177.97 व.फू.	01	1446010	144601
6	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	201.42 व.फू.	01	1636596	163660
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	184.53 व.फू.	01	1499339	149934
8	अनुसूचित जाति	08	167.74 व.फू.	01	1362956	136296
9	अनुसूचित जाति	09	150.96 व.फू.	01	1226573	122657
10	अनुसूचित जनजाति	10	138.05 व.फू.	01	1121663	112166

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर तृतीय तल की दुकानों हेतु

(09 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	सामान्य वर्ग	01	170.43 व.फू.	01	1491336	149134
2	सामान्य वर्ग	02	162.79 व.फू.	01	1424490	142449
3	सामान्य वर्ग	03	161.93 व.फू.	01	1416958	141696
4	सामान्य वर्ग	04	162.79 व.फू.	01	1424490	142449
5	सामान्य वर्ग	05	163.55 व.फू.	01	1431080	143108
6	सामान्य वर्ग	06	472.57 व.फू.	01	4135068	413507
7	महिला	07	193.35 व.फू.	01	1691875	169188
8	महिला	08	195.93 व.फू.	01	1714471	171447
9	शिक्षित बेरोजगार	09	196.80 व.फू.	01	1722004	172200
10	अन्य पिछड़ा वर्ग	10	197.23 व.फू.	01	1725770	172577
11	भूतपूर्व सैनिक	11	261.57 व.फू.	01	2288786	228879
12	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	12	243.49 व.फू.	01	2130615	213062
13	अनुसूचित जाति	13	230.15 व.फू.	01	2013869	201387
14	अनुसूचित जाति	14	215.84 व.फू.	01	1888649	188865

गांधी मैदान कांजी हाऊस व्यवसायिक परिसर चतुर्थ तल की दुकानों हेतु
(09 वी निविदा)

क.	विवरण	दुकान क.	क्षेत्रफल वर्गफूट में	संख्या	आफसेट दर	धरोहर राशि (10%)
1	सामान्य वर्ग	02	75.64 व.फू.	01	567321	56732
2	सामान्य वर्ग	03	71.01 व.फू.	01	532620	53262
3	सामान्य वर्ग	04	68.54 व.फू.	01	514059	51406
4	सामान्य वर्ग	05	58.85 व.फू.	01	441429	44143
5	सामान्य वर्ग	06, 07, 08	117.71 व.फू.	03	882858	88286
6	सामान्य वर्ग	09	106.20 व.फू.	01	796509	79651
7	सामान्य वर्ग	10	97.05 व.फू.	01	727914	72791
8	महिला	11, 12	97.05 व.फू.	02	727914	72791
9	शिक्षित बेरोजगार	13	100.06 व.फू.	01	750510	75051
10	अन्य पिछड़ा वर्ग	14, 15	113.62 व.फू.	02	852193	85219
11	अन्य पिछड़ा वर्ग	16	107.92 व.फू.	01	809421	80942
12	अन्य पिछड़ा वर्ग	17	92.21 व.फू.	01	691599	69160
13	अनुसूचित जाति	18	78.65 व.फू.	01	589918	58992
14	अनुसूचित जाति	19	101.89 व.फू.	01	764229	76423
15	अनुसूचित जनजाति	20	127.39 व.फू.	01	955488	95549

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत निर्मित ....
(स्थल का नाम आवदेक द्वारा भरा जावे) व्यवसायिक परिसर में दुकानों का आबंटन

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

निविदादाता का फोटो (स्वयं द्वारा प्रमाणित)

(निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाए)

1. निविदादाता का नाम :— ....
2. पिता/पति का नाम :— ....
3. जन्म तिथि :— ....
4. पत्र व्यवहार का पता :— ....
   ....
5. दूरभाष तथा मोबाइल नं. :— ....
6. ई—मेल पता (E- mail ID) :— ....

7. स्थायी निवास का पता :— ....

....

....

1. आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करने का विवरण

राशि (अंकों में) रूपये ....

(शब्दों में) रूपये ....

बैंक का नाम ....

बैंक ड्रॉफ्ट का नंबर ....दिनांक ....

2. निविदादाता द्वारा चयनित दुकान एवं प्रस्तावित मूल्य निम्नानुसार है :—

दुकान नं.	**दुकान का क्षेत्रफल**	**निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य**	**निविदादाता के हस्ताक्षर**
		(अंकों) में रू. .... (शब्दों में) रू.	

—:: <u>अभिवचन</u> ::—

मैं आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत .... व्यावसायिक परिसर में दुकानों का आबंटन में उपरोक्त दुकान निविदा में अंकित मूल्य पर 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर लेने के लिए सहमत हूं। इस हेतु मैंने निविदा की समस्त शर्तो को पढ़कर समझ लिया है। निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है। मैंने कंड़िका (09) में कुल प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है।

स्थान :—

दिनांक :— **(निविदादाता का हस्ताक्षर)**

विशेष :— आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे, समाचार पत्र एवं वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।

1. निविदा आवेदन पत्र नियम एवं शर्ते नजूल विभाग नगर पालिक निगम, रायपुर के मुख्य कार्यालय में अवलोकन कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य डाक घर रायपुर में

दिनांक **04.04.2015** के कार्यालयीन समय तक जमा किये जायेंगे। निविदाएं दिनांक **08.04.2015** को **4.00** बजे मुख्य कार्यालय बाजार/नजूल शाखा नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष खोली जावेंगी।

2. प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा आवेदन किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
4. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम बाजार/नजूल विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देनी होगी। लिफाफे के ऊपर व्यवसायिक परिसर दुकान क्रमांक एवं दरदाता का पूर्ण पता सहित होना चाहिए।
5. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आफसेट मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
6. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
7. निविदाओं की समस्त शर्ते कार्यालयीन अवधि में बाजार/नजूल विभाग मुख्य कार्यालय एवं नगर पालिक निगम रायपुर की वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur. nic.in** से देखी जा सकती है।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत नगर निगम द्वारा निर्मित विभिन्न व्यवसायिक परिसरों में निविदा के माध्यम से दुकानों का आबंटन

// नियम एवं शर्ते //

विशेष :– **आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे दैनिक समाचार पत्र एवं वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।**

1. आई.डी.एस.एम.टी. योजना के नगर निगम द्वारा निर्मित (1) कालीबाड़ी चौक व्यवसायिक परिसर प्रथम तल की–**01** दुकान (2) कंकालीपारा अस्पताल व्यवसायिक परिसर प्रथम तल (मेजेनाईन फ्लोर सहित) की–**03** दुकान (3) अग्रसेन चौक मंगलम् के बाजु व्यवसायिक परिसर में भू–तल, अग्र भाग प्रथम तल (मेजेनाईन फ्लोर सहित),पृष्ठ भाग प्रथम तल व पृष्ठ भाग द्वितीय तल की **कुल 18** दुकानें (4) गांधी मैदान कांजी हाऊस **67** दुकानें/कक्ष अर्थात् कुल–**89** दुकानों को **30** वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का प्रस्ताव मुहरबंद निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
2. निविदा आवेदन पत्र नियम एवं शर्ते नजूल विभाग मुख्य कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय **11.00 बजे से 4.00** बजे तक अवलोकन किया जा सकता है। एवं नगर निगम का वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur. com** से देखी जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य डाक घर रायपुर में दिनांक **04.04.2015** के कार्यालयीन समय तक जमा किये जायेंगे निविदाएं दिनांक **08.04.2015 को शाम 4.00** बजे मुख्य कार्यालय राजस्व शाखा नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारी के समक्ष खोली जावेंगी।
3. प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा जमा किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर रााशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
5. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देनी होगी।
6. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी। निविदाओं की समस्त शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन अवधि में नजूल विभाग मुख्य कार्यालय में किया जा सकता है।
7. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

8. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी जो :–

(अ) भारतीय नागरिक हों

(ब) फर्म या कंपनी की ओर से प्रस्ताव करने पर फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदार विलेख तथा अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हों।

(द) नाबालिग न हो।

9. उच्चतम बोली/प्रस्थापना छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम–1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग. नगर पालिक अधिनियम एवं अचल सम्पत्ति अंतरण नियम के स्वीकृति के अधीन होगी।

10. छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम–1956 की धारा 80 के तहत में निगम अधिकारी कोई भी उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

11. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।

12. निविदादाता को नगर निगम कार्यालय में दुकान के पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।

13. आबंटित दुकान की छत पर पट्टेधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।

14. आबंटित दुकान में किसी प्रकार के विभाजन कर अन्य को विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी।

15. दुकान के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नही होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

16. उच्चतम बोली बोलने/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी बोली/प्रस्थापना शर्त (9) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है, बोली/प्रस्थापना की शतप्रतिशत राशि 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूमि निक्षेप की राशि अभिग्रहिता कर ली जायेगी।

17. उपरोक्त कंडिका क्रमांक (14) एवं (15) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर धरोहर राशि नगर निगम के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

18. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।

19. निविदादाता को निर्धारित अवधि में राशि जमा करने के पश्चात एक माह के भीतर उचित मूल्य के स्टांप पर स्वयं के व्यय पर पट्टा निष्पादन करना होगा।

20. कंडिका (18) का पालन नहीं करने पर दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी।

21. निविदादाता/आबंटिती को दुकान में मादक पदार्थो, ज्वलनशील/विस्फोटक सामाग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधि अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा।

22. आबंटिती को दुकान में स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

23. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।

24. आबंटिती को दुकान का मासिक किराया 5/–रू. प्रतिवर्गफूट देय होगा। निर्धारित समय में किराया राशि जमा न करने पर 15 (पन्द्रह) प्रतिशत वार्षिक अथवा तत्समय प्रचलित नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। किराया कब्जा देने की तिथि में प्रभावशील होगा।

25. आबंटिती द्वारा दुकान अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा एवं तत्समय निर्धारित हस्तांतरण शुल्क की राशि जमा करना होगा/वर्तमान मासिक किराया में 25% वृद्धि कर बढ़े किराया राशि का 12 माह का नजराना जमा करने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।

26. आबंटिती को दुकान का रखरखाव एवं रंगाई–पुताई स्वतः कराना होगा।

27. आबंटिती को दुकान में कम्पन्न करने वाली मशीन लगाने, संचालन करने तथा ज्वलनशील एवं विस्फोटक एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।

28. आबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान का आबंटन निरस्त कर दे तथा जमा समस्त राशि नगर निगम में राजसात कर ले। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को यह अधिकार होगा कि वह प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पुर्नविचार कर पट्टे एवं निविदा के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन पर स्वीकृत निविदा राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित कर उपशमन कर सकेंगे।

29. आबंटिती को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश–निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

30. भागीदार फर्मो के संबंध में 50 (पचास) प्रतिशत या उससे ज्यादा भागीदारों का समावेश करने अथवा हटाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की अनुमति से तत्समय निर्धारित नामांतरण शुल्क नगर निगम कोष में जमा किये जाने पर अनुमति दी जा सकेगी।

31. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तो से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

32. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा शर्तो को संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा।

33. वर्णित व्यवसायिक परिसर में आबंटितियों को परिसर के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के लिये एक समिति गठित कर स्वयं के व्यय में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करना होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर